न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 24/2015 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

श्रीमती विमलेश पत्नी श्री गिरधारी जाति जाटव निवासी नानकपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हीरालाल पुत्र सुम्मेरा
2. रमेश
3. प्रेम सिंह } पुत्रान हीरालाल } जाति जाटव निवासी इम्लावदा तह0 किरावली जिला आगरा (उ0प्र)
4. देवी सिंह
5. राजेन्द्र
6. पुलवा पुत्री हीरालाल
7. कमलेश पत्नी नारायण, जाति जाटव निवासी नगला हवेली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 06.05.2015 उनवानी श्रीमती विमलेश बनाम हीरालाल मु0न0 09/2012

उपस्थितिः–

1. श्री दीपक शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री विजय सिंह वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :– 03.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 06.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादिया की ओर से रैस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आर. टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1318 रकवा 01 बीघा वाके ग्राम रूपवास में स्थित है। अपीलाण्ट/वादिया ने उक्त आराजी सन् 1992 में, उक्त आराज़ी की खातेदार श्रीमती भगवाना देई पत्नि हीरालाल

जाति जाटव निवासी इम्लाबदा तहसील किरावली से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया था। उसके बाद आज तक वह विवादित आराजी पर बदस्तूर कब्जा काश्त करती चली आ रही है। अपीलाण्ट/वादिया उक्त आराजी पर क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी अपीलाण्ट/वादिया के नाम दर्ज नहीं है, बल्कि किसी बाबूखॉ पुत्र अहमत खॉ के नाम दर्ज है। उक्त गलत इन्द्राजो के कारण विवादित आराजी से अपीलाण्ट/वादिया को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः अपीलाण्ट/वादिया ने अपने हितो की रक्षा करने हेतु विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/वादिया का प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गंई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय नियम वियद्ध कानून विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल मंसूखी है। विवादित आराजी अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयानामा, उसकी खातेदार श्रीमती भगवान देई पत्नी हीरालाल से दिनांक 19.09.1992 को खरीद की थी एवं तभी से अपीलाण्ट उक्त आराजी पर काबिज चली आ रही है। अपीलाण्ट ने अपनी खरीद की आराजी में रिहायश हेतु एक चद्दर डालकर 18 फुट का कमरा जिसकी चारो तरफ से बाउण्ड्री बाल बनी हुई है, में अपने परिवार सहित निवास करती चली आ रही है। रैस्पो0, अपीलाण्ट के उक्त मकान को हडपने व जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। श्रीमती भगवानदेई पत्नी हीरालाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 6 जो भगवान देई के वारिसान हैं, ने अपने नाम गुपचुप भगवानदेई का दाखिल खारिज करा लिया और आराजी मुतदाविया का एक फर्जी विक्रय पत्र अपीलाण्ट द्वारा खरीदे गये सन् 1992 के विक्रय पत्र के बाद रैस्पो0 संख्या 07 के नाम करा दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। यह सही है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट ने सन् 1992 में श्रीमती भगवानदेई से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की थी, किन्तु अपीलाण्ट ने करीब 06 या 07 साल बाद ही उक्त आराजी को दिनांक 14.09.1999 में सावित्री देवी पतिन श्री मेघ सिंह जाति जाट निवासी किलेदार का पुरा तहसील बसेडी को जरिये इकरारनामा मय नक्शा एक कमरा का विक्रय कर दिया था। अतः उक्त आराजी में अपीलाण्ट/वादिया के हक व अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात् सावित्री देवी ने

उक्त आराजी को सुमन पत्नि महावीर कुम्हार निवासी घाटौली को जरिये इकरारनामा मय नक्शा के बेचान कर दिया व सुमन ने भी चार माह बाद शारदादेवी पत्नि मौजीराम को विक्रय कर दिया। इस प्रकार अपीलाण्ट उक्त आराजी को 10–11 साल पहले बेचान कर चुकी है। अपीलाण्ट का उक्त आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट/वादिया का नाम, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में कही भी अंकित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट/वादिया के पक्ष में ना होकर रैस्पो0/प्रतिवादी के पक्ष में साबित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही अपीलाण्ट/वादिया के पक्ष में प्राईमाफेसी केस नहीं पाया जाकर, प्रार्थना पत्र खारिज किया है। लिहाजा हम, अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, रूपवास का निर्णय दिनांक 06.05.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर